कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस।

पत्रांक 1309 /एल0बी0सी0–13वें वि0आ0/2014 दिनांकः– 07 नवम्बर, अक्टूबर, 2014

5

कार्यवृत्त

आज दिनांक 22.10.2014 को 13 वॉ वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के व्यय किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, सि0राऊ के प्रस्ताव सं0 163 दिनांक 02.10.2014 जिसमें उल्लखित किया गया है कि नगर पालिका परिषद, सि0राऊ की नगरीय सीमान्तर्गत कासगंज रोड़ पर पन्त चौराहे से सर्दुला पुल तक तथा हाथरस रोड़ पर पंत चौराहे से वेग गन हाउस की तरफ तथा अलीगढ़ एटा रोड़ पर तहसील के सामने कई बस्तियां व कई धार्मिक स्थल स्थित है एवं उक्त क्षेत्रों की बस्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा उक्त क्षेत्र की बस्तियों के गन्दे जल का आशिक रूप से निकास उक्त मार्गो के किनारें साइड पटरियों पर स्थित पुराने कच्चे कदीमी नालों/नालियों द्वारा हो रहा है तथा वर्षा काल में उक्त क्षेत्रों में समुचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त क्षेत्र के निवासियों द्वारा समुचित जल निकासी हेतु पक्के नालों के निर्माण की मॉग की गयी है। जल निकासी व जन समस्या को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सि0राऊ द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर पक्के नालों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये, जिनकी स्वीकृति आपके कार्यालय द्वारा दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न) प्रभारी, वन अधिकारी, हाथरस द्वारा नाला निर्माण हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी जिसके कारण नालों का निर्माण नहीं हो सका। जन मॉग जल निकासी एवं जन समस्या को दृष्टिगत रखते हुये इस सम्बन्ध में अध्यक्षा द्वारा कई बार प्रभारी वन अधिकारी, हाथरस से समन्वय किया गया। समन्वय के दौरान प्रभारी संरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य की अनुमति सक्षम स्तर (भारत सरकार/राज्य सरकार) से जारी की जाती है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि याचक विभाग (नगर पालिका परिषद सि0राऊ) द्वारा नाला निर्माण हेतु काटी जाने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल से कम से कम दोगुनी क्षेत्रफल की भूमि वन विकास हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करनी होगी, तत्पश्चात सक्षम स्तर (भारत सरकार/राज्य सरकार) से स्वीकृति उपरान्त ही नाला निर्माण का कार्य कराया जा सकता है। नगर पालिका परिषद, सि0राऊ के पास वन विकास कार्य के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में पालिका की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है जिस कारण वानिकी कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण/क्य कर वन विभाग को वन विकास कार्य हेतु हस्तान्तरित की जा सके तथा साथ ही इस प्रकिया में काफी समय लगने की सम्भावना है जबकि उक्त अनुदान की उपयोगिता अवधि काफी अल्प है।

उपरोक्त समस्या के दृष्टिगत **पूर्व स्वीकृत नालों के प्रस्तावों में से वन संरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले नालों के प्रस्तावों को वर्तमान में निरस्त करते हुये उनके स्थान पर निम्न विवरण के अनुसार नगर के अन्य प्रस्तावित नालों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।** अनुदान के अतिरिक्त व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान पालिका निधि से किया जाना प्रस्तावित है। जो निम्न प्रकार है:–

निरस्त किये जाने वाले प्रस्तावित नालों का विवरणः–

क0सं0	कार्यवृत्त पत्रांक व दिनांक	निरस्त किये जाने वाले नालों का विवरण			निरस्त किये जाने वाले नालों की अनुमानित लागत
		कार्यवृत्त कमांक	नाले का विवरण	नाले की लम्बाई	
1.	448/एल0बी0सी0–13वां वि0/2013 दिनांक 14 नवम्बर, 2013	2(अ)/2	कासगंज रोड़ पर पन्त चौराहे से नगला शीशगर की तरफ नाले का निर्माण।	430 मी0	24,98,000–00
		2(अ)/3	कासगंज रोड़ पर मौ0 नगला शीशगर बलवन्त सिंह मार्ग के निकट से मौ0 नौरवेल चौहान फर्टीलाईजर की तरफ नाले का निर्माण।	430 मी0	24,98,000–00
		2(अ)/4	कासगंज रोड़ पर मौ0 नौखेल (निकट दुकान श्री जितेन्द्र से) सर्दलापुल की तरफ नाले का निर्माण।	430 मी0	24,98,000–00
		2(अ)/6	अलीगढ़ एटा रोड़ पर पौरूष एडवोकेट भवन से हनीफ एग्रीकल्चर तक नाले का निर्माण।	230 मी0	9,00,000–00
		2(अ)/8	हाथरस रोड़ पर पन्त चौराहे से वेग गन हाउस के दोनों तरफ नालों का निर्माण।	430 मी0	24,98,000–00
				योग(क)	1,08,92,000–00
2	714/एल0बी0सी0–13वां वि0/2013 दिनांक 13 फरवरी, 2014	1(अ)	अलीगढ़ एटा रोड़ पर पन्त चौराहे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की पुलिया तक नाले का निर्माण ।	360 मी0	24,92,000–00
				योग (ख)	24,92,000–00
	निरस्त किये जाने वाले नालों की कुल लागत योग– (क+ख)				1,33,84,000–00

निरस्त किये जाने वाले नालों की कुल लागत अंकेन 1,33,84,000–00 के सापेक्ष स्वीकृत किये जाने वाले निम्न प्रस्तावति नालों का विवरण–

क0सं0	प्रस्तावित नाले का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमानित लागत(रू0)
1	शिशु मन्दिर रोड़ पर गौसगंज रोड़ से शिशुमन्दिर गढ़ी बुन्दु खां तिराहा होते हुये सि0राऊ रेलवे स्टेशन की तरफ आर0सी0सी0 नाले का निर्माण	500 मी0	23,49,500–00
2	कृष्णा विहार कालोनी स्मृति द्वार से श्री सत्यप्रकाश के मकान की तरफ होते हुये गौसगंज चौक तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण	500 मी0	23,49,500–00
3	जी0एस0 कालेज रोड पर श्री सौदान सिंह के मकान होते हुये गौसगंज चौक तक एक तरफ तथा गौसगंज चौक से श्री रणवीर के मकान के निकट पुलिया तक दोनो साइड नालों का निर्माण	520 मी0	24,02,400–00
4	मौ0 नोखेल में सर्दला पुल से श्री हरी सिंह के मकान की तरफ नाला निर्माण	400 मी0	22,16,000–00
5	काजियान रोड़ पर कासगंज रोड़ से फौजी की चक्की की तरफ नाला निर्माण	250 मी0	11,13,300–00
6	भूतेश्वर कालोनी में अलीगढ़ एटा रोड़ से भूतेश्वर मंदिर की तरफ आर0सी0सी0 नाले का निर्माण।	300 मी0	15,06,900–00
7	सराय उन्दा बेगम में अलीगढ़ एटा रोड़ से धर्मशाला चन्द्रपाल सैलानी की तरफ आर0सी0सी0 नाले का निर्माण	300 मी0	15,46,000–00
		कुल लागत योग–	1,34,83,600–00

उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों को सुनने के उपरान्त सर्वसम्मत द्वारा स्वीकार किया गया, जिनकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 28–10–2014 में दिये गये निर्देश **"समस्त अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार व पारदर्शी ढंग से निस्पादित करें" एवं "समस्त कार्य शासनादेश में निहित निर्देशों व प्रकिया के अनुसार किया जायेगा एवं वित्तीय नियमों का पालन करना/कराना ई0ओ0 की जिम्मेदारी होगी। स्टीमेट/प्राकलन सक्षम स्तर से नियमानुसार पूर्ण होना चाहिए"** के कम में इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शासनादेश में अंकित शर्तों/प्रतिवधों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

(उदयी राम)
अपर जिलाधिकारी, हाथरस।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– जिलाधिकारी महोदय हाथरस को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0,प्रा0ख0, हाथरस।
3– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 सि0राऊ।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हाथरस को जिला वेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।
5– जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

7/11/14

अपर जिलाधिकारी, हाथरस।